भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2020

02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान

2020. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री विजय बघेल:
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (एनआईएमएच), हैदराबाद को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए पहले डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए ऐसे क्षेत्र के लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या छत्तीसगढ़ के वनों में कई सुपरनेचुरल औषधियां मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में भी ऐसे सहयोगी केंद्र या इसकी शाखाएं खोलने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और
(च) क्या सरकार के पास इस संबंध में भविष्य के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान (एनआईआईएमएच), हैदराबाद को दिनांक 3 जून, 2024 से चार वर्षों के लिए पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र (डब्ल्यूएचओ-सीसी आईएनडी-177) के रूप में नामित किया गया है, जिसके लिए निम्नलिखित संदर्भ शर्तें हैं:

i. डब्ल्यूएचओ के अनुरोध पर और डब्ल्यूएचओ के सहयोग से, पारंपरिक चिकित्सा के लिए अनुसंधान क्रिया पद्धति के क्षेत्र में सदस्य राज्यों के साथ डब्ल्यूएचओ के कार्य को सहयोग।

ii. डब्ल्यूएचओ के अनुरोध पर और डब्ल्यूएचओ के सहयोग से, तकनीकी उत्पाद शब्दावलियों का मानकीकरण तैयार करने और उसे अद्यतन करने में डब्ल्यूएचओ के कार्य को सहयोग:

(ख): इसके लाभ निम्न प्रकार हैं:

i. पारंपरिक चिकित्सा में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान के लिए दिशा-निर्देशों और मैनुअलों का विकास।
ii. पारंपरिक चिकित्सा पर आंकड़ों के संग्रहण, रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शब्दावलियों का मानकीकरण।
iii. आवश्यकतानुसार पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान में अनुसंधान और विकास के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(ग): आयुष मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ): अभी तक, आयुष मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(च): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के क्षेत्राधिकार के तहत समन्वय केंद्रों की स्थापना आती है।

*****